[2018] 14 एस.सी.आर 941

भारत संघ और अन्य

बनाम

दयालू राम

(सिविल अपील संख्या 12004/2018)

11 दिसंबर, 2018

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985:धारा 14–न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार–प्रत्यर्थीगण को सशस्त्र बलों द्वारा आकस्मिक आधार पर क्रमशः 1993 और 1994 में नियुक्त किया गया –उन्हें देय मजदूरी रेजिमेंटल फंड से वितरित की गई थी–वर्ष 2003 में सेवाओं से समाप्त कर दी गई–प्रत्यर्थीगणओं ने कैट के समक्ष समाप्ति आदेश को चुनौती दी–अधिकरण ने समाप्ति के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्रतिवादी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से लगातार 'सिविल रसोइयों' के रूप में काम कर रहे थे और उन्हें निजी रूप से नियुक्त नहीं माना जा सकता था क्योंकि दैनिक वेतनभोगी और रेजिमेंटल फंड सेना के अधिकारियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत योगदान से जुटाई गई निजी निधि नहीं हैं–उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया–अपील पर कहा गयाःआर. आर. पिल्लई मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इकाई द्वारा संचालित कैंटीन के कर्मचारी सेना के अधिकारियों द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं और वे केंद्र सरकार के तहत कोई पद नहीं रखते हैं–एक बार यह अभिनिर्धारित हो जाने के बाद कि रेजिमेंटल कैंटीन के कर्मचारी न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही वे संघ के तहत किसी सिविल पद के संबंध में कार्यरत हैं, अधिकरण के पास अधिनियम की धारा14 के तहत दावे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।–इस दृष्टि से अधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश अरक्षणीय थे–रक्षा मंत्रालय के 26 मार्च 2012 के कार्यालय ज्ञापन पर प्रत्यर्थीगणओं द्वारा गलत तरीके से भरोसा किया गया था क्योंकि उक्त ज्ञापन रक्षा मंत्रालय के निदेशालयों/विभागों में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिकों पर लागू था–प्रत्यर्थीगणओं को रक्षा मंत्रालय के निदेशालय या विभाग द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था–अधिकरण का आदेश और इसकी पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया है–सेवा कानून–सशस्त्र बल–क्षेत्राधिकार।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : एक बार यह माना जाता है कि उनकी स्थिति सरकारी कर्मचारी की नहीं है , अधिकरण द्वारा पारित आदेश और उस निर्णय की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया जाता है। हालांकि, प्रतिवादी–श्रमिकों की निरंतरता रेजिमेंटल कैंटीन के अधिकारियों पर निर्भर करेगी। यह उनके लिए खुला रहेगा कि वे अपने लंबे वर्षों के काम को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं।

आर. आर. पिल्लई (डी) के माध्यम से विधिक उत्तराधिकारी बनाम कमांडिंग ऑफिसर, मुख्यालय, दक्षिणी वायु कमान (यू) [2009 (13)

एससीसी 311]:[2009] 7 एससीआर 118–पर निर्भर था।

भारत संघ बनाम गोबिंद प्रसाद मुला 2012 (13) एससीसी 565;

भारत संघ बनाम एम. असलम 2001 (1) एससीसी

720:[2001] 1 एससीआर 62–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 7 एस. सी. आर. 118 पर भरोसा किया गया पैरा 5

(2012) 13 एस. सी. सी. 565 पैरा 5 को संदर्भित

[2001] 1 एस. सी. आर. 62 पैरा 8 को संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2018 की सिविल अपील क्रमांक 12004

2006 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 201 में शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2018 की सिविल अपील क्रमांक 12005

कैलाश वासुदेव, वरिष्ठ अधिवक्ता, आर. बालासुब्रमण्यम, श्रीमती साधना संधू, अधिवक्ता अपीलार्थीगण के लिए।

अशोक अग्रवाल, विपिन कुमार जय, अधिवक्ता प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़

विलंब क्षमा किया गया।

अनुमति प्रदान की गयी

1. ये अपीलें 12 मार्च ए के एक फैसले से उत्पन्न हुई हैं। 2010 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय की पुष्टि की।

2. प्रत्यर्थीगणओं को क्रमशः 1993 और 1994 में आकस्मिक आधार पर मुख्यालय, सेना प्रशिक्षण कमान (ए. आर. टी. आर. ए. सी.), शिमला द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्हें देय मजदूरी रेजिमेंटल फंड से वितरित की गई थी। उन्हें 1 सितंबर 2003 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थीगण ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चंडीगढ़ का रुख किया। 8 नवंबर 2005 के अपने फैसले में अधिकरण ने कहा कि प्रत्यर्थीगण अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से लगातार 'सिविल रसोइयों' के रूप में काम कर रहे थे। अधिकरण के विचार में, प्रत्यर्थीगण को निजी तौर पर नियोजित नहीं माना जा सकता था क्योंकि दैनिक वेतनभोगी और रेजिमेंटल फंड जूनियर कमीशन अधिकारियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत योगदान से जुटाई गई निजी निधि नहीं हैं। फलस्वरूप, प्रत्यर्थीगण को बहाल करने के निर्देश के साथ समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया। अधिकरण ने मजदूरी वापस करने से इनकार कर दिया है, लेकिन निर्देश दिया है कि प्रत्यर्थीगण को उस अवधि के लिए सिविल रसोइये के रूप में निरंतर सेवा में माना जाना चाहिए, जिसके दौरान वे रोजगार से बाहर रहे। यह देखते हुए कि कोई विशिष्ट योजना नहीं दिखाई गई थी जिसके तहत नियमितीकरण का दावा किया जा सके, अधिकरण ने प्रत्यर्थीगणओं को उचित प्राधिकरण के समक्ष नियमितीकरण के लिए अपने मामलों का प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता प्रदान की है और निर्देश दिया है कि यदि कोई योजना मौजूद है, तो उनके आवेदनों पर वरिष्ठता में उनकी स्थिति के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

3. सहयोगी अपील से संबंधित तथ्य समान हैं।

4. भारत संघ ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किया। रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

5. अधिकरण के फैसले पर जोर देते हुए, भारत संघ की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कैलाश वासुदेव ने प्रस्तुत किया कि भारतीय सेना की इकाई द्वारा संचालित कैंटीन की स्थिति एकीकृत नहीं है और इसे आर. आर. पिल्लई (डी) विधिक उत्तराधिकारी के माध्यम से बनाम कमांडिंग अधिकारी, मुख्यालय, दक्षिणी वायु कमान (यू) 1 में तीन–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा तय किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस निर्णय के बाद, कानून में स्थिति अच्छी तरह से तय है कि इकाई द्वारा संचालित कैंटीन के कर्मचारी सेना के अधिकारियों द्वारा नियुक्त नहीं हैं और केंद्र सरकार के तहत कोई पद नहीं रखते हैं। इस फैसले का अनुसरण इसके बाद भारत संघ बनाम गोबिंद प्रसाद मुला 2 में किया गया।

6. उपरोक्त परिसर में, यह आग्रह किया गया था कि जिस आधार पर बहाली दी गई थी, वह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 ("अधिनियम") की धारा 14 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिकरण के पास मूल आवेदन पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल प्रस्तुत करते हैं कि अधिकरण ने वर्तमान अपीलों के तथ्यों पर विस्तृत रूप से विचार किया है और इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि हालांकि प्रत्यर्थीगण ने 1993 से लगातार काम किया था, लेकिन उनकी सेवाओं को 2003 में अकस्मात समाप्त कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकरण के निष्कर्ष के अनुसार, प्रत्यर्थीगणओं की सेवाओं को मनमाने ढंग से इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि उन्होंने अनुबंध की मूल शर्तों के विपरीत अनुबंध में प्रवेश करने के एकतरफा अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया था कि अधिकरण के फैसले के बाद, उन्हें 9 जनवरी 2006 को रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन बहाल किया गया था। अंत में, यह आग्रह किया गया कि इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, 14 मार्च 2014 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि कार्यवाहियों की लंबितता केंद्र सरकार द्वारा रेजिमेंटल फंड से भुगतान किए जाने वाले व्यक्तियों के नियमितीकरण के लिए नीति तैयार करने के रास्ते में नहीं आएगी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में ऐसी एक नीति है, जो रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के 26 मार्च 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8 (1) 2012/डी (सी. आई. वी. II) में निहित है।

8. आर. आर. पिल्लई (ऊपर) में तीन–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद भारतीय सेना की यूनिट संचालित कैंटीन की स्थिति अब एकीकृत नहीं है। तीन–न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ पहले के भारत संघ बनाम एम. असलम 3 में दो–न्यायाधीशों की पीठ के एक निर्णय पर संदेह के कारण दिया गया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह देखने के बावजूद कि इकाई द्वारा संचालित कैंटीन को भारत के समेकित कोष से वित्त पोषित नहीं किया जाता है, एम. असलम (ऊपर) की दो–न्यायाधीशों की पीठ ने गलती से कहा कि इन कैंटीन को कैंटीन स्टोर विभाग (सी. एस. डी.) के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। आर. आर. पिल्लई (उपरोक्त) मामले में, रेजिमेंटल कैंटीन की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि कर्मचारियों को किसी भी स्तर पर सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए इस संदर्भ का जवाब यह कहते हुए दिया गया कि इकाई द्वारा संचालित कैंटीन के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। इस निर्णय का पालन गोबिंद प्रसाद मूल (ऊपर) के पश्चात्वर्तिय निर्णय में किया गया है।

9. वर्तमान मामले में, अधिकरण के निर्णय को कानून की स्थिति के कारण अस्थिर बना दिया गया है जिसे उपरोक्त दोनों निर्णयों में विस्तार से बताया गया है। वास्तव में, एक बार जब यह अभिनिर्धारित हो

गया कि रेजिमेंटल कैंटीन के कर्मचारी न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही वे संघ के तहत किसी सिविल पद के संबंध में कार्यरत हैं, तो अधिकरण को अधिनियम की धारा 14 के तहत दावे पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता।

10.मामले के इस दृष्टिकोण से, अधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश अरक्षनीय हैं।रक्षा मंत्रालय के 26 मार्च 2012 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर प्रत्यर्थीगणओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निवेदन का आग्रह किया गया था, वह गलत है। कार्यालय ज्ञापन उन आकस्मिक श्रमिकों पर लागू होता है जो रक्षा मंत्रालय के निदेशालयों/विभागों में काम कर रहे हैं। प्रत्यर्थीगण के पद पर व्यक्ति रक्षा मंत्रालय के निदेशालय या विभाग द्वारा नियोजित नहीं हैं। उनकी भूमिका और स्थिति दो निर्णयों जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है के द्वारा पहले से ही विस्तृत है ।

11. अधिकरण के फैसले के अनुसरण में, प्रत्यर्थीगण को बहाल कर दिया गया था, हालांकि वे रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन थे। बहाली के आदेश के परिणामस्वरूप, वे लगातार रेजिमेंटल कैंटीन की सेवा में हैं।

12. एक बार जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनके पास सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं है, तो हमें अनिवार्य रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश और उस निर्णय की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करना होगा।

13. हालाँकि, हमें यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि यद्यपि हालाँकि हम उपरोक्त शर्तों में इन अपीलों की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन प्रतिवादी–श्रमिकों की निरंतरता रेजिमेंटल कैंटीन के अधिकारियों पर निर्भर करेगी। यह उनके लिए खुला रहेगा कि वेउनकी सेवाएं लाभ का उठाने के संबंध में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँ उनके द्वारा किए गए लंबे वर्षों के काम को ध्यान में रखते हुए ।

14. तदनुसार दीवानी अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त कर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप, अधिकरण के समक्ष दायर मूल आवेदन खारिज हो जाएंगे। व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों को अनुमति दी गई।